



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimcoefrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/04/05/2024/एफ.सी. 170

दिनांक: 18.07.2024

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/15538/2015

विषय: 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे० संरक्षित व 14.4106 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् 14.8394 हे० वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित अर्थात् कुल 19.9019 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2818 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी-105/81-2-2024-800(92)/2024, दिनांक 18.06.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रसंगत प्रकरण में परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. The complete alignment including both Forest and Non Forest land of the area proposed for diversion needs to be depicted in KML file. The Revised KML file of the area proposed for diversion needs to be uploaded on the Parivesh portal.
2. The revised geo-referenced map of the area proposed for diversion in Kanpur Dehat, Kanpur Nagar and Fatehpur district is required. The map must include geo-coordinate points, which needs to be accurately specified. This needs to be uploaded on Parivesh portal.
3. The KML file of the alternate routes needs to be uploaded on Parivesh portal.
4. As per Google Earth imagery, the proposed CA land of the Meza range falls under the Barren/Rocky area. This needs clarification in terms of suitability of tree plantation.
5. Project Sanction letter needs to be uploaded on Parivesh portal.
6. List of affected trees and list of trees to be actually felled to be provided separately.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. मुख्य वन प्रभाग कानपुर मण्डल कानपुर एवं प्रयागराज एवं आगरा।
4. प्रभागीय वनाधिकारी प्रयागराज/कानपुर नगर/कानपुर देहात/मैनपुरी/औरैया/फतेहपुर।
5. महाप्रबन्धक (पारेषण) एस०ई०यू०पी०पी०टी०सी०एल० विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

Signed by Prachi Gar

(डॉ० प्राची गंगवार)

Date: 18-07-2024 17:00
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)